An ISO 9001:2015 certified

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची

पत्रांक : MIS/06/2019/151 (PartFile-2)/...1996 **दिनांकः** 29/05/2025

प्रेषक,

शशि रंजन, भा.प्र.से.
राज्य परियोजना निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड।

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड।

विषय : **U-DISE+ अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के ऑकड़ों को अद्यतन एवं संकलन कार्य पूर्ण कराने के संबंध में।**

प्रसंग : **कार्यालय पत्रांक MIS/06/2019/151(PartFile-2)/1990 दिनांक 29/05/2025 में आंशिक संशोधन।**

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक D.O. No. 23-2/2025-Stats दिनांक 30-04-2025 के मार्फत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए विद्यालय, शिक्षक के साथ-साथ छात्रवार ऑकड़ा U-DISE+ के माध्यम से अद्यतन/प्रोग्रेशन तथा नए बच्चों के आँकड़ों के संकलन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करने का निदेश प्राप्त हुआ है।

सर्वप्रथम पूर्व शौक्षणिक सत्र 2024-25 के U-DISE+ के ऑकड़ों को पूर्ण करने पर आप एवं आपके सभी टीम के सदस्य बधाई के पात्र हैं।

पुनः शैक्षणिक सत्र 2025-26 के U-DISE+ के ऑकड़ों को पूर्ण करने हेतु निम्न निदेश दिए जाते हैः-

क्र.	**गतिविधि**	**समय सीमा**
1.	प्रत्येक विद्यालय के एक शिक्षक को U-DISE+ 2025-26 पर प्रशिक्षित किया जाय।	10-06-2025 तक
विद्यालय संबंधित ऑकड़ों के संकलन एवं अद्यतीकरण के संबंध में -		
2.	U-DISE+ में पूर्व से पंजीकृत सभी विद्यालयों का नाम, कोटि, प्रबंधन एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण ऑकड़ों का अद्यतन का कार्य पूर्ण किया जाना।	15-06-2025 तक
3.	मान्यता प्राप्त नए विद्यालयों जिसे अब तक U-DISE+ Code प्राप्त नहीं है, को U-DISE+ पोर्टल में प्रपत्र (Form A02) के माध्यम से जोड़ा जाना।	15-06-2025 तक
4.	मान्यता प्राप्त वैसे विद्यालयों जिसे U-DISE+ Code प्राप्त है किन्तु किसी कारण से U-DISE+ पोर्टल में active नहीं है, को पुनः active प्रपत्र (Form A01) के माध्यम से किया जाना।	15-06-2025 तक
5.	विशेष रूप से उत्क्रमित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों	15-06-2025 तक

जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर-3, धुर्वा, राँची-834004 दूरभाष:0651-2444501 | 2444502 ई-मेल:jepcranchi1@gmail.com

	तथा उत्कृष्ट विद्यालयों के नाम एवं कोटि का अद्यतन किया जाना आवश्यक है।	
शिक्षक संबंधित ऑकड़ों के संकलन एवं अद्यतीकरण के संबंध में –		
6.	विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों (विद्यालय में प्रतिनियुक्त शिक्षकों एवं गैर शैक्षिक कर्मचारियों सहित) U-DISE+ में अद्यतन का कार्य पूर्ण किया किया जाना है।	20-06-2025 तक
छात्र संबंधित ऑकड़ों के संकलन एवं अद्यतनीकरण के संबंध में –		
7.	वर्ष 2024–25 में नामांकित सभी छात्र–छात्राओं का सत्र 2025.26 में उनके Progression Status, Marks in Percentage (%) of Previous Session, No. of Days School attended in Previous Session, Schooling Status (2025-26) एवं Eligible/Promoted Class & Section से संबंधित ऑकड़ों के साथ प्रोग्रेसन पूर्ण किया जाना है।	30-06-2025 तक
8.	वर्ष 2025-26 में नामांकित सभी नए विद्यार्थियों के ऑकड़ों की प्रविष्टि U-DISE+ में पूर्ण की जानी है।	01-07-2025 तक
9.	विद्यार्थियों के विद्यालय परिवर्तन होने के स्थिति में छात्र/छात्रा के PEN Number के सहयोग से Dropbox से import किया जाएगा।	15-07-2025 तक

<u>उपर्युक्त के संबंध में निदेश दिया जाता है कि</u> –

1. **उक्त सभी कार्य निर्धारित समयावधि में निश्चित रूप से पूर्ण किया जाए।**
2. **ज्ञात हो कि U-DISE+ के ऑकड़ें Online उपलब्ध रहते है। अतः U-DISE+ अंतर्गत विद्यालय, शिक्षक एवं छात्र/छात्रओं से संबंधित ऑकड़ों को 2025–26 के ऑकड़ें Freeze होने तक अर्थात पुरे शैक्षणिक सत्र में अद्यतन किया जाये ताकि किसी भी समय U-DISE+ में उपलब्ध आंकड़े विद्यालय के वास्तविक ऑकड़े के समान अर्थात Realtime हो।**
3. विद्यालय स्तर तक के प्रशिक्षण कार्य निर्धारित समय सीमा में अन्दर पूर्ण किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रति विद्यालय अधिकतम रू. 150/– के दर से व्यय किया जा सकता है। U-DISE+ प्रशिक्षण कार्य में व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति प्रशिक्षण के वीडियो, फोटोग्राफ एवं उपस्थिति पंजी आधार की जाएगी। उक्त राशि का भुगतान जिला/प्रखण्ड स्तर से MIS/Management मद से किया जाएगा।
4. छात्र–छात्राओं के प्रोग्रेसन के क्रम में विद्यालय के सबसे उच्च कक्षा को सबसे पहले पूर्ण किया जाएगा।
5. U-DISE+ में पूर्व से पंजीकृत सभी विद्यालयों का नाम, कोटि, प्रबंधन एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण ऑकड़ों का अद्यतन का कार्य जिला स्तर से किया जाएगा।
6. छात्रों से संबंधित ऑकड़ों की प्रविष्टि/अद्यतन का कार्य विद्यालय स्तर पर किया जाएगा जिसमें आवश्यकतानुसार विद्यालय स्तर पर कार्यरत ICT Instructor तथा Vocational Trainer से भी सहयोग लिया जाएगा। प्रखण्ड स्तर से Accountant-

cum-Computer Operator (BRC & KGBV), Data Entry Operator द्वारा भी कार्य संपादित किया जाएगा।

7. संकुल स्तर पर संकुल साधन सेवी (CRP) द्वारा सभी विद्यालयों के ऑकड़ों की जॉच की जाएगी एवं प्रखण्ड स्तर पर BRP द्वारा 25 प्रतिशत विद्यालयों के सभी ऑकड़ों की स्थलीय जॉच की जाएगी।

8. आधारभूत संरचना से संबंधित सभी ऑकड़ों की जॉच प्रखण्ड स्तर से कनीय अभियंता एवं जिला स्तर पर से सहायक अभियंता द्वारा किया जाएगा।

9. प्रखण्ड एवं संकुल स्तर पर मानवबल के अभाव में ग्राम/पंचायत स्तर पर कार्यरत VLE की सेवा ली जा सकती है अथवा नियमानुसार वाह्य स्रोत से किसी प्रशिक्षित डॉटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवा अधिकतम एक माह के लिए जा सकती है।

10. उक्त कार्यों में आ रही तकनीकी समस्याओं का त्वरित निराकरण प्रखण्ड स्तर पर कार्यरत Block MIS Coordinator द्वारा किया जाएगा। जबकि विद्यालय, संकुल एवं प्रखण्ड स्तर पर ऑकड़ों के अद्यतन कार्य में आ रही व्यवधानों का त्वरित निराकरण करने/कराने की जबावदेही संबंधित प्रखण्ड के BEEO एवं BPO/BPM के होगी।

11. प्रखण्ड स्तर से BEEO एवं BPO/BPM के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन उक्त कार्यों की समीक्षा की जाएगी एवं इसे जिला कार्यालय को प्रतिवेदित करेंगे।

12. जिला स्तर से अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर/जिला एम.आई.एस समन्वयक द्वारा प्रतिदिन उक्त कार्यों की समीक्षा की जाएगी। जिला स्तर से ऑकड़ों के अद्यतन कार्य में आ रही तकनीकी समस्याओं पर त्वरित सहयोग सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर अथवा District MIS Coordinator द्वारा प्रदान किया जाएगा।

13. जिला स्तर से District MIS Coordinator तथा प्रखण्ड स्तर से Block MIS Coordinator प्रतिदिन अद्यतन हो रहे ऑकड़ों का field wise विश्लेषण करेंगे तथा यह ध्यान रखेंगे कि अद्यतन हो रहे ऑकड़ों में कही कोई गलत प्रविष्टी तो नहीं हो रही है तथा विश्लेषित ऑकड़ों को संबंधित के साथ साझा करेंगे एवं सही ऑकड़ों की प्रविष्टि करने संबंधित मार्गदर्शन संबंधित को देंगे।

14. अद्यतन हो रहे ऑकड़ों की शुद्धता पर सभी स्तर से विशेष ध्यान रखा जाएगा। राज्य स्तर से विशलेषण के क्रम में गलत प्रविष्टि पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाई की जाएगी।

15. औपचारिक शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थान / पूर्व प्राथमिक कक्षाएं वाले निजी विद्यालय / Skill Center / गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय जिसे U-DISE Code प्राप्त नहीं है में अध्ययनरत बच्चों के आँकड़ों का संकलन Block MIS user अन्तर्गत Unrecogmised School Enrolment option में छात्रों की संख्या की प्रविष्टि की जानी है।

16. सभी BPO/BPM अथवा Block MIS Coordinator की यह जवाबदेही होगी कि वे प्रखण्ड स्तर से विद्यालयवार Dropbox में उपलब्ध बच्चों की सूची Dropbox

remarks के साथ Print कर सभी संबंधित विद्यालय के साथ टैग BRPs/CRPs को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करायेंगे।

17. सभी BRPs/CRPs Dropbox के बच्चों की सूची के साथ संबंधित विद्यालय में जाकर उन बच्चों के वर्त्तमान विद्यालय का पता लगायेंगे एवं प्राप्त जानकारी के आलोक में संबंधित मध्य/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाकर उन बच्चों को Dropbox से import करायेंगे। विद्यालय द्वारा import करने में बच्चों के PEN Number, नाम तथा जन्म तिथि को U-DISE+ के आँकड़ों के अनुसार डाल कर import करायेंगे जिसे आवश्यकतानुसार बाद में संशोधित किया जा सकता है।

18. सबंधित भी BRPs/CRPs अगर Dropbox में कोई बच्चा Duplicate पाया जाता है तो BRPs/CRPs उसे कारण सहित U-DISE+ के Dropbox में inactive कराना सुनिश्चित करेंगे।

19. बच्चों का संकुल/प्रखण्ड परिवर्त्तन की स्थिति में संबंधित BRPs/CRPs की जिम्मेवारी होगी कि बच्चें जिस भी संकुल/प्रखण्ड में चले गये हैं वे उस संकुल के BRPs/CRPs को सूचित कर बच्चें को वहाँ के संबंधित विद्यालय में import करायेंगे।

20. सभी BRPs/CRPs यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जिन बच्चों का AADHAAR entry नहीं है उनका AADHAAR entry हो जाए। साथ ही साथ U-DISE+ में AADHAAR validation भी हो जाए।

21. सभी ACP/District MIS Coordinator एवं Block MIS Coordinator सभी BRPs/CRPs को इस कार्य में पूर्ण सहयोग करेंगे।

22. सभी BEEO/BPO/BPM प्रतिदिन विद्यालयवार अनुश्रवण करेंगे कि किस विद्यालय के Dropbox में कितने बच्चें उपलब्ध हैं और कितने बच्चों के आँकड़ों को BRPs/CRPs द्वारा उनके वास्तविक विद्यालय में import करा दिया गया है।

पूर्व में उक्त विषय से संबंधित कार्यालय पत्रांक MIS/06/2019/151 (PartFile-2)/1990 दिनांक 29/05/2025 के माध्यम से निर्गत दिशा–निदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

विश्वासभाजन,

29/05/25

(शशि रंजन)
राज्य परियोजना निदेशक।

ज्ञापांक : MIS/06/2019/151 (PartFile-2)/1996 दिनांकः 29/05/2025

प्रतिलिपिः सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड को सादर सूचनार्थ समर्पित।

29/05/25

(शशि रंजन)
राज्य परियोजना निदेशक।